कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनउ

पत्रांकः 128/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(सहा0)/ 304. दिनांकः जुलाई 13 2017

सेवा मे,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स एम0आर0एस0 मैमोरियल स्कूल,
खसरा नं0–243एम0, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील सहारनपुर,
जनपद–सहारनपुर

विषयः **मैसर्स एम0आर0एस0 मैमोरियल स्कूल खसरा नं0–243एम0, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील+जनपद सहारनपुर उ0प्र0 मे निर्मित एजुकेशनल भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/31731/एसआरआर/सहारनपुर/541/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत शैक्षणिक भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र नि किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय से किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन अग्निशमन द्वितीय अधिव सहारनपुर श्री पन्नालाल एवं लिंक एफएसएसओ श्री राम स्वरूप द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक एवं सीएफओ की कमेटी द्वारा कर अपनी संस्त आख्या दिनांकः 03–07–2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र अमन शर्मा को उपलब्ध तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परि द्वारा आख्याओं का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या मय पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करायी ग जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–8100.00 वर्ग मी0।
2–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–1174.94 वर्ग मी0।
3–निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया–1076.90 वर्ग मी0।
4–भवन की ऊचाँईः–07.38 मीटर।

भवन का अधिभोगः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐंः–

1–पहुँच मार्ग– प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2–प्रवेश द्वारः–भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 04.50 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेक– प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–12.50 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–शून्य मी0।
सी0–पार्श्व भाग–प्रथम–01.50 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–शून्य मी0।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर उ0प्र0 के पत्रांकः–एस0टी0/634 दिन 19–06–2002 के द्वारा प्राईमरी स्कूल की मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार जनहित याचिका संख्याः483/2004 मे निर्गत निर्देशों के अनुसार संचालित एजुकेशनल भवनों के प्राविधानों के अनुसार है, तथा उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखा जायें।

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन मे 03 अदद स्टेयरकेस जिनकी कमशः चौडाई 01.00, 01.20 व 01.20 मी0 निर्मित है, तथा भवन के सम स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थ एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयीः–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित

2–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

3–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर की संस्तुति आख्याओं के आधार प्रश्नगत भवन मैसर्स एम0आर0एस0 मैमोरियल स्कूल खसरा नं0–243एम0, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील+जनपद सहारन उ0प्र0 मे निर्मित एजुकेशनल भवन को कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीने सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर–सी0–6 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियु रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कि जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0–2005 के एनेक्स–ई–3 के अनुसार इमरजेन इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने व पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध मे अनुपालनार्थ।

4–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।